भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 228

07 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

मध्य प्रदेश में भांडागारों का निर्माण

228. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित भांडागारों की संख्या और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भांडागारों के निर्माण हेतु कोई विशेष योजना विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में भांडागारों के निर्माण के लिए निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश में भविष्य में किन स्थानों पर नए भांडागार बनाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): केन्द्रीय भंडारण निगम ने मध्य प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों में 18216 टन की क्षमता के साथ 04 (चार) भांडागारों का निर्माण किया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान मध्य प्रदेश भंडारण और लॉजिस्टिक निगम ने 33,000 टन क्षमता के 4 गोदामों का निर्माण किया है।

(ख): मध्य प्रदेश में 37 जनजातीय (ट्राईबल) ब्लॉकों की पहचान की गई है, जिनमें 1800 टन प्रति ब्लॉक क्षमता के गोदाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) स्कीम के लिए निर्मित किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश भंडारण और लॉजिस्टिक निगम द्वारा जनजातीय (ट्राईबल) समुदाय से संबंधित उद्यमियों को 7 वर्षीय व्यवसाय गारंटी प्रदान की गई है।

(ग): भारतीय खाद्य निगम में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खरीद का स्तर, बफर मानकों की आवश्यकता और मुख्यतया चावल और गेहूं के लिए पीडीएस प्रचालनों पर निर्भर करती है। खरीद करने वाले राज्यों में पिछले तीन वर्षों में उच्चतम स्टॉक स्तरों के आधार पर और उपभोग वाले राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याण योजना (ओडब्ल्यूएस) की 4 महीने के आवश्यकता (पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप जैसे कुछ अन्य राज्यों के मामले में 6 महीने) के आधार पर भंडारण अंतर का आकलन किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का सतत मूल्यांकन और निगरानी करता है और इस भंडारण अंतर मूल्यांकन के आधार पर भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती है।

.....2/-

भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित योजनाओं के जरिए अपनी भंडारण क्षमताओं में वृद्धि करता है:-

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस)
3. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत साइलो का निर्माण
4. केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना।

(घ): आज की तारीख तक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 4.25 लाख टन के क्षमता वाले 10 साइलो की मंजूरी प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश क्षेत्र में 4.25 लाख टन के प्रस्तावित साइलो क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राजस्व जिला	साइलो के प्रकार	क्षमता (टन में)
1	उज्जैन	स्पोक	75000
2	धार	स्पोक	50000
3	पन्ना	स्पोक	25000
4	सेवोनी	स्पोक	50000
5	सतना	स्पोक	50000
6	गुना	स्पोक	50000
7	राजगढ़	स्पोक	25000
8	अगर मालवा	स्पोक	25000
9	दमोह	स्पोक	50000
10	शिवपुर	स्पोक	25000
कुल			**425000**

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर नए भंडागारों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है:-

क्र. सं.	केन्द्र	जिला	क्षमता(टन)
1	**शिवपुर कलां-II**	**शिवपुर**	23000
2	**माकसी**	**शाजापुर**	2800
3	**कटनी**	**कटनी**	1300
4	**छिंदवाड़ा**	**छिंदवाड़ा**	40000
कुल			67100

******